सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4(1)(ख)(i) के अंतर्गत स्वः प्रकटीकरण

ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड

मैनुअल संख्या - 15

सूचना अभिप्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियां, जिनमें किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के, यदि लोक उपयोग के लिए अनुरक्षित है तो, कार्यकरण घंटे सम्मिलित हैं

(Particulars of Facilities Available to Citizens for Obtaining Information, Including the Working Hours of a Library or Reading Room, if Maintained for Public Use)

15.1 संकाय / सुविधा का नाम और स्थान

ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा राज्य मुख्यालय से लेकर ग्राम पंचायत स्तर तक नागरिकों को विभागीय कार्यक्रमों, योजनाओं एवं अभिलेखों की सुगम जानकारी प्राप्त कराने हेतु विभिन्न बहु-स्तरीय भौतिक एवं डिजिटल सुविधाएं स्थापित की गई हैं:

नागरिकों को सूचना प्राप्ति हेतु स्थापित प्रमुख सुविधाएं

▼ ▼ ▼

1. राज्य एवं आयुक्तालय स्तर	2. जनपदीय स्तर (13 जनपद)	3. विकास खण्ड एवं ग्राम स्तर (95 ब्लॉक)
• स्वागत एवं सुविधा काउंटर (IFC)	• विकास भवन सूचना एवं सुविधा पटल	• ब्लॉक स्तरीय सूचना केंद्र व वाचनालय
• केंद्रीय अभिलेख व वाचनालय कक्ष	• जिला विकास अधिकारी / DRDA पटल	• ग्राम सभा खुली बैठकें व पंचायत सचिवालय
• स्थान: आयुक्तालय, पौड़ी / कैम्प देहरादून	• स्थान: 13 जनपदों के विकास भवन परिसर	• स्थान: 95 विकास खण्ड व 7,817 ग्राम पंचायतें

1. राज्य एवं आयुक्तालय स्तर:

- स्वागत कक्ष एवं सूचना सुविधा काउंटर (IFC): भूतल, कार्यालय आयुक्त, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड, पौड़ी - 246001।
- कैम्प कार्यालय सूचना पटल: सर्वे चौक, देहरादून / तपोवन रोड, रायपुर, देहरादून, उत्तराखण्ड।
- राज्य स्तरीय प्रशिक्षण संस्थान सुविधा: उत्तराखण्ड ग्राम्य विकास एवं पंचायतीराज संस्थान (UIRD & PR), काशीपुर रोड, रुद्रपुर, ऊधमसिंह नगर - 263153।

2. क्षेत्रीय एवं जनपदीय स्तर:

- क्षेत्रीय प्रसार प्रशिक्षण केंद्र (08 ETC): पौड़ी, शंकरपुर (देहरादून), हल्द्वानी (नैनीताल), रुद्रपुर (ऊधमसिंह नगर), थरकोट (पिथौरागढ़), गोपेश्वर (चमोली), हवालबाग (अल्मोड़ा) एवं गुरुकुल कांगड़ी (हरिद्वार)।
- जिला विकास कार्यालय एवं DRDA सूचना पटल: राज्य के समस्त 13 जनपदों के 'विकास भवन' परिसर में स्थित।

3. विकास खण्ड एवं ग्राम स्तर:

- विकास खण्ड सूचना केंद्र एवं वाचनालय: राज्य के समस्त 95 विकास खण्ड मुख्यालयों में स्थापित ब्लॉक सूचना केंद्र।
- ग्राम पंचायत सचिवालय एवं सूचना पट: राज्य की समस्त 7,817 ग्राम पंचायतों में स्थापित पंचायत भवन।

15.2 उपलब्ध कराई गई जानकारी का विवरण

नागरिकों को इन सुविधाओं के माध्यम से निम्नलिखित विभागीय सूचनाएं, प्रकाशन एवं अभिलेख अवलोकन तथा प्रमाणित प्रतियों के रूप में उपलब्ध कराए जाते हैं:

क्र. सं.	सूचना / सुविधा का माध्यम	उपलब्ध कराई जाने वाली जानकारी का विवरण
1.	सूचना का अधिकार (RTI) धारा 4 प्रकटीकरण	विभाग के समस्त 17 मैनुअल्स, संगठन संरचना, कार्य आवंटन, संवर्गीय ढांचा, पटल सहायकों के कर्तव्य तथा नियम संग्रह।

क्र. सं.	सूचना / सुविधा का माध्यम	उपलब्ध कराई जाने वाली जानकारी का विवरण
2.	योजनागत एवं वित्तीय विवरण	विकसित भारत-रोजगार गारंटी (VB-GRAM G/मनरेगा), DAY-NRLM, PMAY-G, PM-JANMAN, PMGSY, वाइब्रेंट विलेज (VVP), विधायक निधि एवं बायोगैस के दिशा-निर्देश, बजट आवंटन व व्यय विवरण।
3.	लाभार्थी एवं परिसंपत्ति सूचियां	ग्राम पंचायतवार जॉब कार्ड धारकों की सूची, आवास प्लस लाभार्थी, स्वयं सहायता समूहों (SHG) का विवरण, 'लखपति दीदी' सूची, तथा 'डायरेक्टरी ऑफ वर्क्स'।
4.	नागरिक अधिकार पत्र (Citizen Charter)	अधिसूचित 14 नागरिक सेवाओं के मानक, निश्चित समय-सीमाएं, सेवा शुल्क तथा प्रथम एवं द्वितीय अपीलीय अधिकारियों के विवरण।
5.	वार्षिक प्रशासनिक प्रकाशन	वार्षिक कार्यपूर्ति दिग्दर्शिका (2026–27), वार्षिक परिणामी बजट (Outcome Budget 2026–27), तथा पलायन निवारण आयोग की अध्ययन रिपोर्टें।
6.	प्रचार-प्रसार एवं शैक्षिक सामग्री	विभागीय मासिक समाचार पत्र 'ग्रामीण भारत', योजनाओं की सफलता की कहानियां (Success Stories), तकनीकी बुकलेट्स एवं सिटिजन चार्टर ब्रोशर।

15.3 सुविधा के कार्य घंटे

नागरिकों को सूचनाएं, प्रपत्र एवं सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु विभाग के कार्यालयों एवं सूचना सुविधा काउंटरों (IFC) के कार्य घंटे निम्न प्रकार निर्धारित हैं:

विभागीय कार्यालयों एवं सूचना काउंटरों के कार्य घंटे

(क) सामान्य कार्यालयीन समय (सोमवार से शुक्रवार)

- प्रातः 10:00 बजे से सायं 05:00 बजे तक
- पटल निरीक्षण, आरटीआई आवेदन व प्रपत्र प्राप्ति
- शनिवार, रविवार एवं राजपत्रित अवकाशों को छोड़कर

(ख) विशेष जन-सुनवाई एवं समाधान समय

- प्रत्येक कार्य दिवस: प्रातः 10:00 बजे से अपराह 01:00 बजे तक
- सक्षम अधिकारियों द्वारा व्यक्तिगत जन-सुनवाई
- स्वागत कक्ष एवं कॉल हेल्पलाइन: 24 घंटे निरंतर सक्रिय

1. कार्यालय खुलने व बंद होने का समय: प्रत्येक कार्य दिवस (सोमवार से शुक्रवार) प्रातः 10:00 बजे से सायं 05:00 बजे तक (शीतकालीन/ग्रीष्मकालीन शासकीय समय-सारणी के अनुसार)।
2. आरटीआई आवेदन एवं शुल्क जमा करने का समय: प्रत्येक कार्य दिवस में पूर्वाह्न 10:30 बजे से अपराह्न 03:30 बजे तक।
3. अभिलेखों के भौतिक निरीक्षण का समय: लोक सूचना अधिकारी से पूर्व अनुमति प्राप्त कर प्रत्येक कार्य दिवस में अपराह्न 02:00 बजे से सायं 04:30 बजे तक।

4. डिजिटल पोर्टल्स एवं हेल्पलाइन: विभागीय वेबसाइट www.ukrd.uk.gov.in, आरटीआई ऑनलाइन पोर्टल rtionline.uk.gov.in तथा मुख्यमंत्री हेल्पलाइन (1905) नागरिकों के उपयोग हेतु 24 घंटे × 7 दिन (24×7) ऑनलाइन उपलब्ध हैं।

15.4 पुस्तकालय या वाचन कक्ष के कार्यकरण घंटे

ग्राम्य विकास विभाग के अंतर्गत सामान्य सार्वजनिक पुस्तकालय (Public Lending Library) संचालित नहीं है।

तथापि, विभागीय प्रकाशनों, योजना साहित्य, संदर्भ ग्रंथों तथा ग्रामीण विकास पत्र-पत्रिकाओं के अवलोकनार्थ मुख्यालय, प्रशिक्षण संस्थानों एवं विकास खण्ड स्तर पर विभागीय वाचनालय एवं संदर्भ केंद्र (Departmental Reading Rooms & Resource Centres) स्थापित हैं:

विभागीय वाचनालयों एवं संदर्भ केंद्रों के कार्यकरण घंटे

▼ ▼ ▼

1. मुख्यालय संदर्भ केंद्र (पौड़ी)	2. UIRD एवं 8 ETC वाचनालय	3. विकास खण्ड सूचना केंद्र (95 ब्लॉक)
• आयुक्तालय अभिलेख व वाचनालय कक्ष	• प्रशिक्षणार्थी, शोधार्थी व जन-प्रतिनिधि	• ग्रामीण नागरिक, काश्तकार व जनप्रतिनिधि
• प्रातः 10:00 बजे से सायं 05:00 बजे तक	• प्रातः 09:30 बजे से सायं 06:00 बजे तक	• प्रातः 10:00 बजे से सायं 05:00 बजे तक

1. मुख्यालय संदर्भ कक्ष एवं वाचनालय (कार्यालय आयुक्त, ग्राम्य विकास, पौड़ी):

- सुविधा: विभागीय संदर्भ ग्रंथ, शासनादेश संग्रह (MGO Guard Files), बजट मैनुअल, परिणामी बजट एवं केंद्रीय योजनाओं के मास्टर सर्कुलर।
- कार्यकरण घंटे: प्रत्येक कार्य दिवस में प्रातः 10:00 बजे से सायं 05:00 बजे तक।
- प्रवेश व्यवस्था: सेवारत कार्मिकों, शोधार्थियों तथा सक्षम अनुमति प्राप्त नागरिकों/आरटीआई आवेदकों हेतु निःशुल्क सुलभ।

2. उत्तराखण्ड ग्राम्य विकास एवं पंचायतीराज संस्थान (UIRD & PR, रुद्रपुर) एवं 08 प्रसार प्रशिक्षण केंद्र (ETC):

- सुविधा: ग्रामीण प्रौद्योगिकी, पंचायती राज, जल संरक्षण, आजीविका प्रबंधन व सामुदायिक विकास की पुस्तकें, शोध पत्रिकाएं एवं ई-लाइब्रेरी।
- कार्यकरण घंटे: प्रशिक्षण सत्रों एवं कार्य दिवसों में प्रातः 09:30 बजे से सायं 06:00 बजे तक।

3. विकास खण्ड स्तरीय सूचना केंद्र एवं वाचनालय (समस्त 95 ब्लॉक मुख्यालय):

- सुविधा: प्रत्येक विकास खण्ड स्तर पर सूचना केंद्र व पुस्तकालय स्थापित हैं, जहां विभागीय मासिक समाचार पत्र 'ग्रामीण भारत', डायरेक्टरी ऑफ वर्क्स तथा योजना पुस्तिकाओं का संग्रह नागरिकों के निःशुल्क वाचन हेतु उपलब्ध है।
- कार्यकरण घंटे: प्रत्येक कार्य दिवस में प्रातः 10:00 बजे से सायं 05:00 बजे तक।

15.5 संपर्क व्यक्ति और संपर्क विवरण

नागरिक सूचना सुविधाएं प्राप्त करने, अभिलेखों के निरीक्षण तथा आरटीआई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने हेतु स्तरवार अधिकृत संपर्क अधिकारियों का विवरण निम्नवत है:

सूचना सुविधा एवं संपर्क अधिकारियों का पदानुक्रम

▼ ▼ ▼

1. राज्य एवं मुख्यालय स्तर (पौड़ी)	2. जनपदीय स्तर (13 विकास भवन)	3. विकास खण्ड स्तर (95 ब्लॉक)
• राज्य लोक सूचना अधिकारी (SPIO)	• प्रथम अपीलीय अधिकारी (CDO)	• लोक सूचना अधिकारी (BDO)
• उपायुक्त (प्रशासन), आयुक्तालय, पौड़ी	• लोक सूचना अधिकारी (DDO)	• खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय
• दूरभाष: 9410112900	• दूरभाष: संबंधित विकास भवन दूरभाष	• दूरभाष: ब्लॉक कार्यालय दूरभाष

क्र. सं.	प्रशासनिक स्तर / सुविधा केंद्र	अधिकृत संपर्क अधिकारी का नाम व पदनाम	कार्यालय का पूर्ण पता	संपर्क दूरभाष एवं मोबाइल नंबर	आधिकारिक ई-मेल आईडी
1.	मुख्यालय आरटीआई एवं प्रशासनिक सूचना	श्रीमती हेमन्ती गुन्जियाल, उपायुक्त (प्रशासन) / राज्य लोक सूचना अधिकारी	कार्यालय आयुक्त, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड, पौड़ी - 246001	9410112900	dcprogramme303@gmail.com
2.	मुख्यालय प्रथम अपीलीय प्राधिकार	श्री ए०के० राजपूत (प्रभारी अपर आयुक्त, ग्राम्य विकास)	आयुक्तालय, ग्राम्य विकास, पौड़ी / कैम्प देहरादून	8800737087	dcprogramme303@gmail.com
3.	सेवा का अधिकार एवं सिटिजन चार्टर नोडल	श्री भरत चन्द्र भट्ट, उपायुक्त (कार्यक्रम)	कक्ष संख्या-02, आयुक्तालय भवन, पौड़ी	8449994000	dcprogramme303@gmail.com
4.	UIRD प्रशिक्षण संस्थान एवं वाचनालय	अधिशासी निदेशक, उत्तराखण्ड ग्राम्य विकास एवं पंचायतीराज संस्थान	UIRD परिसर, रुद्रपुर, जनपद ऊधमसिंह नगर - 263153	-	<uird_rudrapur02@yahoo.co.in>, <eduirdrudrapur@gmail.com>
5.	जनपदीय स्तर (समस्त 13 जनपद)	संबंधित मुख्य विकास अधिकारी (CDO) / जिला विकास अधिकारी (DDO)	संबंधित जनपद का विकास भवन परिसर	*मैनुअल संख्या-09 एवं 16 की तालिका अनुसार*	*मैनुअल संख्या-09 एवं 16 की तालिका अनुसार*
6.	विकास खण्ड स्तर (समस्त 95 ब्लॉक)	संबंधित खण्ड विकास अधिकारी (BDO) / कार्यक्रम अधिकारी	संबंधित विकास खण्ड कार्यालय परिसर	*मैनुअल संख्या-09 एवं 16 की तालिका अनुसार*	*मैनुअल संख्या-09 एवं 16 की तालिका अनुसार*